

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)  
अनुवान महावीर प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार  
प्रार्थना-पत्र संख्या - 367/2025  
निर्णय दिनांक 10/09/2025

महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज जाति ब्राह्मण निवासी सात्यू तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा सात्यू तहसील तारानगर के खाता संख्या 1143 खसरा सं. 2958/1396 तादादी 1.5806 हैक्ट., ख.नं. 2957/1487 तादादी 1.0496 हैक्ट., ख.नं. 2958/538 तादादी 1.5174 हैक्ट. में प्रार्थी के नाम महावीरप्रसाद पुत्र पेमराम है जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में महावीरप्रसाद पुत्र पेमराम के स्थान पर महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक 1682/03.09.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज सही नाम है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा सात्यू तहसील तारानगर के खाता संख्या 1143 खसरा सं. 2958/1396 तादादी 1.5806 हैक्ट., ख.नं. 2957/1487 तादादी 1.0496 हैक्ट., ख.नं. 2958/538 तादादी 1.5174 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम महावीरप्रसाद पुत्र पेमराम के स्थान पर महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज किया जाना उचित है

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम महावीरप्रसाद पुत्र पेमराम व महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम महावीरप्रसाद पुत्र पेमराम अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सात्यू तहसील तारानगर के खाता संख्या 1143 खसरा सं. 2958/1396 तादादी 1.5806 हैक्ट., ख.नं. 2957/1487 तादादी 1.0496 हैक्ट., ख.नं. 2958/538 तादादी 1.5174 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम महावीरप्रसाद पुत्र पेमराम **Delete** कर इसके स्थान पर महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र पेम राज अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra Kumar*  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी